

2352
28.8.02



सत्यमेव जयते

असंशोधित

26 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

सं: 32:अनो:दि 26.7.02

तारांकित प्रश्न संख्या-2068

इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री नैयर आज्ञा सदन में अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्या-2069

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय

खंड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड 2: उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड 3: उत्तर अस्वीकारात्मक है।

विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित पदों का आकलन किया जा रहा है तदोपरांत निष्पत्ति पर विचार होगा।

खंड 4: जंडका-3 में स्थिति स्पष्ट कर

दी गई है।

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ,

कि: इन्होंने कहा कि विचार किया जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूँ कि माननीय सांसद और माननीय विधायक ने एम्बुलेंस

खरीदकर अपने ब्लॉक, अपने जिले में दे रहे हैं लेकिन चालक के अभाव में वे एम्बुलेंस

नहीं चल रहे हैं जिसके कारण रोगियों को ^{शाँच से सुखालय} ले जाने में कड़ी

बिकल हो रही है तो ^{कम} सरकार द्वारा उनकी व्यवस्था अपिलम्ब कराना चाहती है?

अध्यक्ष : हमने भी स्वयं-सेवा संस्था को एम्बुलेंस दिया है, लायन्स क्लब को दिया है।

तो सरकार कहीं-कहीं द्वारा रखेगी।

उत्तरधनः

नहीं-नहीं, यह संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-2070, श्रीमती अरुणा देवी।

उत्तरधनः

हमने कुछ एम्बुलेंस दिया है।

श्री जगदीश सिंह लोभावाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गाननीय मंत्रीजी को बतलाना चाहता हूँ, गाननीय सांसद श्री राजीव प्रताप खत्री ने छपरा में 12 एम्बुलेंस स्वयंसेवी संस्था को दिया था। वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा कि चालकों के अभाव के चलते वे सारे एम्बुलेंस बेकार पड़े हुए हैं। क्या मंत्री महोदय, इसके लिए अलग से बजट का आवस्था करेंगे। क्या इस संबंध में आप अलग से निर्देश देंगे क्योंकि जनता के हित का सवाल है। सारे एम्बुलेंस बेकार पड़े हुए हैं।

श्री शकुनी चौधरी: मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत-ही स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि विहार लोक सेवा आयोग से जो बजट आया है उसको हमलोग देख रहे हैं कि वहाँ हमारी भेक्सी बनती है, वहाँ हम बहाल करेंगे। जहाँ भेक्सी नहीं होगी वहाँ बहाल नहीं करेंगे। जहाँ तक इन्डीपेंडेंट या गाननीय सदस्य या गाननीय सांसद जो भी एम्बुलेंस दिये हैं उसको सोसाइटी के माध्यम से चलाना है और वहीं पर उनको खर्च भी वहन करना है संबंधित बजट का। जहाँ वे इस्तेमाल करेंगे उनको ही फेंक देना है चूंकि वे सरकारी आदमी नहीं हैं।

अध्यक्ष : यह बात हो गई न । मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात से आप संतुष्ट नहीं होइयेगा, तब पूछियेगा, अभी बैठिए ।

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो हमारे पास स्वीकृत पद है, स्वीकृत पद के आलोक में जितना भैंसी होगा जहां-जहां सड़कस्टमेंट करना होगा, वहां हम करेंगे । माननीय मंत्री के हाथ में यह नहीं है कि पद का गुणन तुरत करा देंगे । माननीय मंत्री ने कहा है कि हम इसको देखवा रहे हैं और जहां होगा, वहां करेंगे । ऐसा छुमंतर नहीं है कि तुरत पद का गुणन करा देंगे और बहाली करा देंगे । जिस जिला में भैंसी है, वे वहां पर नियुक्ति कराने के दिशा में कार्रवाई करेंगे । जहां पर एम्बुलेंस का प्रावधान है, वहां पर सड़कस्टमेंट हो सका है, वहां पर वे ड्राइवर दे देंगे । एक बात माननीय सदस्य ने कहा, इसको आप देखवा लीजिए, माननीय सांसद श्री रुढ़ी जी ने 12 एम्बुलेंस दिया है और 12 एम्बुलेंस को जिला पदाधिकारी ने अपने वहां मंगवा लिया है । इसको दो मंगवा लिया गया, इसको आप देखवा लीजिए ।

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो 12 एम्बुलेंस दिया है, उसकी सूची सरकार को नहीं मिली है । यदि वे सूची दे देंगे तो हम उसको देखेंगे कि उस पर बहाली हो सकती है या नहीं ?

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत बहेली प्रखंड में एम्बुलेंस दिया गया है, क्या मंत्री जी वहां पर ड्राइवर देंगे ?

अध्यक्ष : ड्राइवर आपको ही देना होगा ।

टर्न-33/आजाद/26.7.2002

श्री भोला प्रोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ। महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने ड्राईवर के संबंध में अपने आसन से कहा कि माननीय सदस्य को ही ड्राईवर देना पड़ेगा। यह आपने अपने आसन से कहा है।

अध्यक्ष : हमलोगों ने अपनी जगह यही व्यवस्था किया है कि जिस एजेंसी को हमलोग गाड़ी देते हैं, वे ड्राईवर भी अमना रखते हैं। सामाजिक संस्थान जो रजिस्टर्ड हैं, वे ही इसकी व्यवस्था करती है। सरकार कहां-कहां व्यवस्था करेगी ?

श्री भोला प्रोसिंह : जो सरकारी अस्पताल में दिया गया है, उसके संबंध में क्या होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भोला बाबू, आपने भी सुना है कि जो रिक्त पद है, वहां पर ड्राईवर की नियुक्ति हो सकती है। उस जिला में ^{रिपोर्ट} सिविल सर्जन से मंगवाकर उस दिशा में कार्रवाई करेंगे और उसको देंगे। लेकिन जहां पर पद सृजित नहीं है, वहां पर कैसे होगा ?

तारांकित प्रश्न संख्या-2070, माननीय उर्जा मंत्री।

तारांकित प्रश्न संख्या-2070

श्री शकील अहमद खां मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वारिसलीगंज प्रखंड के ^{ग्राम} ठेरा में ग्रामीणों द्वारा औपचारिकताएं पूरी की गई है एवं चांदपुर गांव के ग्रामीणों द्वारा मात्र आवेदन दिया गया है।

2. ग्राम ठेरा वर्ष 2002-2003 के पुर्नवासित योजना में सम्मिलित है, जिसमें इस योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। ग्राम चांदपुर वर्ष 2002-2003 की पुर्नवासित योजना की सूची में नहीं है। अगले वर्ष की योजना में शामिल कर एवं ग्रामीणों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।